

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ४ (रक्तदान शिविर) अकाद / १८ / ३७६

दिनांक : १९-९-१९

आ दे श


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2019 को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :—

क्र.सं	क्रियान्विति बिन्दु	क्रियान्विति स्तर	निर्धारित समय सीमा
1	राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालयों द्वारा रक्तदान दिवस (2 अक्टूबर) पर शिविर आयोजित करने हेतु निर्धारित समयानुसार अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर
2	रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जावे, जिसमें जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय का प्राचार्य सदस्य सचिव हो तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समिति के सदस्य हों। यह समिति जिले में रक्तदान शिविर के सफल आयोजन को सुनिश्चित करेंगी। इस समिति द्वारा रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु एक्शन प्लान तैयार किया जावे। यह समिति रक्तदान शिविरों के आयोजन के संबंध में अपेक्षित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी। इस कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 28.09.2019 से पूर्व कर ली जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर
3	उपखण्ड स्तर पर रक्तदान शिविर के आयोजन हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावे। जिसमें उपखण्ड स्तर के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसके सदस्य होंगे। यह समिति जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा बनायें गये एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य करेगी।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर
4	जिला स्तर पर जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संभाग स्तर पर सहायक निदेशक कमशः जिले/ संभाग के अन्य महाविद्यालयों हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।	समस्त सहायक निदेशक, समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर
5	आयुक्तालय-उच्च शिक्षा, की वेबसाईट पर उपलब्ध संकल्प पत्र के प्रारूप एवं रक्तदान के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी बोशर के अनुसार रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर

6	जागरूकता सप्ताह : राज्य के सभी विश्वविद्यालयों /राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में दिनांक 27.9.2019 से 1.10.2019 तक रक्तदान के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया जावे तथा चिकित्सा विभाग द्वारा रक्तदान करने के संबंध जारी ब्रोशर के अनुसार रक्तदान से होने वाले लाभों की जानकारी प्रदान की जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	दिनांक 28 सितम्बर से 1 अक्टूबर
7	समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा रक्तदाताओं से संकल्प पत्र भरवाने का कार्य दिनांक 28 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक किया जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	दिनांक 28 से 30 सितम्बर
8	सभी रक्तदाताओं की डिजिटल डायरेक्ट्री तैयार की जानी है तथा रक्तदाताओं का डोनर कार्ड बनाये जाने हैं। इस संबंध में स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पीएमओ से सम्पर्क कर यह कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। संकल्प पत्र विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के नोडल अधिकारी/प्राचार्यों द्वारा ऑफ लाईन भी भरवायें।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	12 अक्टूबर तक
9	रक्तदाता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं ब्लड बैंक के प्रभारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जावे, एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों को यह अवगत कराया जायें कि उनके द्वारा लगातार 3 सत्र तक राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में रिस्थित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनको महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश में एक प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय होगा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रक्तदाता को डोनर कार्ड भी उपलब्ध कराया जायेगा।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	12 अक्टूबर तक
10	राज्य के समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में रक्तदान दिवस (2 अक्टूबर ) पर शिविर आयोजित करने के संबंध में एक रक्तदान समिति का गठन किया जावे। जिसमें एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट गाइड अधिकारी एवं अन्य व्याख्याता सदस्य हों एवं समिति का अध्यक्ष संबंधित विश्वविद्यालय का कुलसचिव/कॉर्डिनेटर हो।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर तक
11	सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से रक्तदाताओं के संकल्प पत्रों की संख्या विश्वविद्यालयवार/महाविद्यालयवार एकत्र कर सीएमएचओ/पीएमओं को उपलब्ध करवायी जाये।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	दिनांक 1 अक्टूबर तक
12	क्लस्टर/समूह के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों के रक्तदाता निर्देशानुसार समीपस्थ शिविर में रक्तदान करेंगे। इस हेतु संबंधित महाविद्यालयों में गठित रक्तदान समिति इनकी पहुंच सुनिश्चित करेगी एवं समिति सदस्य स्वयं भी शिविर में उपस्थित रहेंगे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय,	

		राजस्थान	
13	रक्तदान हेतु संकल्पकर्ताओं को विश्वविद्यालयवार/महाविद्यालयवार 10–10 के ग्रुप बना के अलग–अलग समय पर दिया जावे ताकि एक साथ रक्तदान शिविर पर रक्तदाताओं की भीड़ एकत्र ना हो।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	
14	रक्तदान शिविर स्थल का आयोजन बड़े हॉल/कक्ष में किया जावे, जिसका फर्श पक्का तथा साफ सुथरा हो एवं रोशनी व हवा की उचित व्यवस्था हेतु बिजली एवं पंखों की समुचित व्यवस्था की जावे। प्रत्येक 10 रक्तदाताओं पर 1 बेड एक गददा व साफ चददर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। रक्तदान शिविर से एक दिन पूर्व एवं शिविर के दिन फिनाईल का पोछा आवश्यक रूप से लगवाया जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	
15	पीने के पानी हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जावे। रक्तदाताओं को रक्तदान से पहले पानी व दो केले एवं रक्तदान के पश्चात कॉफी/दूध/फ्रूट ज्यूस पैकेट्स/ग्लूकोज बिस्किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जावे। इसके लिए रुपये 25/- प्रति रक्तदाता तक पुर्नभरण स्थानीय ब्लड बैंक द्वारा किया जावेगा। पुर्नभरण हेतु प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय द्वारा शिविर की फोटो, मेडिकल ऑफिसर के प्रमाण पत्र की प्रति एवं प्राचार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शेष अन्य व्यय संबंधित संस्थान द्वारा किया जायेगा।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	
16	रक्तदान दिवस को रक्तदान शिविर में रक्तदान हेतु विशेष रूप से एनसीसी/एनएसएस/स्काउट गार्ड के स्वयंसेवक (Volunteers), अन्य विद्यार्थी का सहयोग प्राप्त किया जावे तथा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के कार्मिक/अधिकारी रक्तदान हेतु रक्तदाताओं को प्रेरित करेंगे तथा उन स्वयं से भी रक्तदान हेतु सहयोग अपेक्षित है।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	
17	कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर रक्तदान कार्यक्रम का फॉल्डर बनाया जावें तथा वेबसाईट पर एक पटिका चलाई जाये।	आयुक्त कॉलेज शिक्षा	
18	इस कार्यक्रम में लिये सभी एनजीओ/सामाजिक संस्था यथा महात्मा गांधी दर्शन समिति तथा राजीव गांधी स्टडी सर्कल का अपेक्षित सहयोग लिया जाये।	समिति	

बैठक के अन्त में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जावें।

  
 (प्रदीप कुमार बोरड, IAS)  
 आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं  
 विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्यमंत्री राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-३) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-४) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. एम.डी., एनएचएम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, जयपुर।
8. ए.एम.डी. एनएचएम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, जयपुर।
9. समस्त जिला कलकटर।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
11. स्टेट नोडल ऑफिसर, ब्लड बैंक, एन.एच.एम., जयपुर को प्रेषित कर आग्रह है कि समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध सूचित करने का श्रम करें।
12. प्राचार्य, समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
13. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाओं आयुक्तालय कालेज शिक्षा राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निजी संस्थाओं से संबंधित सूचना एकत्रित करावें।
14. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके संभाग से संबंधित सूचना संकलित कर व एकजार्इ कर आयुक्तालय भिजवावें।
15. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

७

(प्रदीप कुमार बोर्ड, IAS)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा